

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक.-सं 3-4(2)संविदा/च0श्रे0/अभि/2019 पार्ट-III/12931-42

दिनांक 19/09/22

-: आदेश :-

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	अभियोजन कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कमल किशोर शर्मा	21.12.1961	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ़	सनिय, अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री राधेश्याम शर्मा	09.04.1962	अभियोजन विभाग	सनिय, भीलवडा	प्रथम बार
3.	श्री शंकरलाल	04.04.1960	सार्वजनिक निर्माण विभाग, डूंगरपुर	सनिय, डूंगरपुर	प्रथम बार
4.	श्रीमति पार्वती देवी	05.08.1960	सम्भागीय आयुक्त अजमेर	सनिय, अजमेर	प्रथम बार
5.	श्री कन्हैयालाल	10.07.1959	अभियोजन विभाग	सनिय, बून्दी	प्रथम बार
6.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	03.03.1960	जल संसाधन विभाग, बून्दी	सनिय, बून्दी	प्रथम बार
7.	श्री मदन मोहन	08.02.1958	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नैनवा	सनिय, बून्दी	प्रथम बार
8.	श्री मनोहरलाल टेलर	14.02.1960	जिला एवं सेशन न्यायाधीश झालावाड	सनिय, झालावाड	प्रथम बार
9.	श्री रामलाल रेगर	15.05.1958	अभियोजन विभाग	सनिय, टोंक	प्रथम बार
10.	श्री शिवराज सोनी	01.06.1962	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक	सनिय, टोंक	प्रथम बार
11.	श्री प्रभु लाल बैरवा	15.07.1959	राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर टोंक	सनिय, टोंक	प्रथम बार
12.	श्री मोहम्मद अब्दुल समी	15.08.1961	कार्यालय सहायक कलेक्टर टोंक	सनिय, टोंक	प्रथम बार
13.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	10.08.1959	न्याय विभाग, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	सनिय, टोंक	प्रथम बार
14.	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	05.10.1961	अभियोजन विभाग	सनिय, जोधपुर	प्रथम बार
15.	श्री मांगीलाल तेली	22.06.1960	वाणिज्य कर विभाग	सनिय, उदयपुर	द्वितीय बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
 2. पुनः नियुक्त कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
 3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
 4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
 5. पुनः नियुक्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगी।
 6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
 7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 00214 दिनांक 14.09.22 के आधार पर जारी किया जा रहा है।
- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों/समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

—
(भानू प्रकाश एट्रू)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन _____।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर